न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर।

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 01/223

तारीख दायर :– 18/09/2018

उनवान

1. किशना पुत्र मौहना जाति गूजर निवासी मानावास तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

–वादी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू स्वामी थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

– प्रतिवादीगण।

‖ राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत ‖

उपस्थिति :–

1. श्री रामकरण चौपडा एडवोकेट वादी।
2. श्री पैरोकार सरकार एडवोकेट प्रतिवादीगण।

न्यायालय द्वारा :–

निर्णय दिनांकः– 05/02/2019

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाकै ग्राम मानावास तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में हाल आराजी खसरा नम्बर 524 रकबा 1.01 हैक्टर किस्म गै0मु0 बैहड स्थित चली आती है। जिस आराजी को दावा हाजा में विवादित बयान की गयी है।

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 524 रकबा 1.01 हैक्टर का साबिक खसरा नम्बर 395 मि रकबा सामिल नम्बर 518 से हैं जैसाकि मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2061 से प्रमाणित है।

उपरोक्त विवादित आराजी 1.01 हैक्टर यानि चार बीघा आराजी वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जो विवादित आराजी वादी को सम्वत 2028 को सरकार द्वारा आवंटन की गयी थी तथा उसी समय वादी को विवादित आरजी पर मौके पर दखल दे दिया गया था। विवादित आराजी वक्त आवंटन सिवायचक दर्ज रिकार्ड थी। जिस पर वादी का खसरा नम्बर 395/4 कायम करते हुए उपरोक्त साबिक आराजी वादी के कदीमी कब्जा के आधार पर आवंटन हुई थी। वादी बरोज आवंटन से पहले विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। और उक्तानुसार ही वादी का कब्जे काश्त खातेदारी का चला आता है। एव वक्त आवंटन उक्त साबिक खसरा नम्बर 395 रकबा 52 बीघा 16 बिस्वा में से 20 बीघा आराजी की किस्म परिवर्तन जर्ये इन्तकाल संख्या 22 दिनांक 21.09.71 से गै0 मु0 बेहड से सिवायचक किस्म परिवर्तन करने के आदेश जिलाधीश महोदय अलवर द्वारा किये गये थे। जिस पर इन्तकाल संख्या 22 दिनांक 21.09.71 से किस्म परिवर्तन किया गया। जिस विवादित आराजी पर वादी यानि 44–45 साल से लगातार काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। आज भी मौके पर वादी का उक्तानुसार कब्जा काश्त खातेदारी का मौजूद है। वादी की विवादित आराजी से अन्य किसी का कोई हक सम्बन्ध किसी प्रकार का नही है।

विवादित साबिक आराजी में से वादी के साथ साथ दीगर व्यक्ति श्योराम, गोविन्दा पुत्र नान्छा को 02 बीघा व रामचन्द्र पुत्र भैरू को 02 बीघा निवासी मानावास को भी आवंटन उसी समय की गयी थी। जिसके नाम गैरखातेदारी इन्तकाल दर्ज मजूंर कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके हैं वक्त आवंटन आराजी किस्म सिवायचक दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन का इन्तकाल संख्या 22 दिनांक 21.09.71 में गै0मु0 बेहड से किस्म परिवर्तन का सिवायचक दर्ज की गयी थी। लेकिन वादी जो अपनी विवादित आराजी पर बरोज आवंटन से काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। उसके नाम आज तक गैरखातेदारी व खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये गये। इसलिये विवादित आराजी की बाबत वादी को सम्वत 2028 के आवंटन के आधार पर खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

अधिकार प्राप्त हो चुके है। लेकिन वादी विवादित आराजी पर 44–45 साल से लगातार काबिज रहकर काश्त कर रहा है। इसलिये वादी विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 524 रकबा 1.01 हैक्टर को अपने नाम जरिये अदालत आवंटन के आधार पर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है।

विवादित आरजी पर वादी बरोज आवंटन सम्वत 2028 से लगातार शान्तिपूर्वक काबिज रहकर काश्त कर अपना वो परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है। इसके अलावा वादी का नाम खसरा गिरदावरी कब्जा के आधार पर सम्वत 2030, 31, 32, 33 में भी किशना वल्द मोहना गूजर सा0 देह दर्ज चला आता है। विवादित आराजी पर आज भी मौके पर वादी का उक्तानुसार कब्जा काश्त खातेदारी का मौजूद है। वादी की विवादित आराजी से अन्य किसी का कोई हक सम्बन्ध किसी प्रकार का नही है। इसलिये अब वादी के नाम उपरोक्त विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 524 रकबा 1.01 हैक्टर रकबा को आवंटन के आधार पर जरिये अदालत खातेदारी घोषणा किये जाने योग्य हैं एवं वादी अपने नाम खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। एवं राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है। एवं हाल जमाबन्दी में किस्म गै0मु0 बेहड को कलमजन कराकर वक्त आवंटन आराजी किस्म सिवायचक दर्ज किये जाने योग्य है। जिस हेतु यह वाद पत्र पेश है।

विवादित आराजी का वादी काबिज काश्तकार खातेदर चला आता है। वादी की विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का या अन्य किसी का कोई हक सम्बन्ध किसी प्रकार का नही है। वादी अपनी विवादित आराजी पर वक्त आवंटन से बिना किसी बाधा वो रूकावट के काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। आज भी मौके पर वादी का उक्तानुसार कब्जा काश्त खातेदारी का मौजूद है। विवादित आराजी रकबा को वादी के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने योग्य है। इसलिये जरिये अदालत वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराकर अपने नाम खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है। एवं आराजी किस्म परिवर्तन गै0मु0 बेहड से सिवायचक दर्ज किया जावे। जिस हेतु भी यह वाद पत्र पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

वादी गरीब काश्तकारी पेशा व्यक्ति है। जो विवादित आराजी पर वक्त आवंटन से काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करता आ रहा है। वादी ग्रामीण

Scanned by CamScanner

क्षेत्र का रहने वाले व्यक्ति है। जो कानून की जानकारी नही रखता है। वादी इसी विश्वास में रहा कि आवंटन के आधार पर विवादित आराजी वादी के नाम खातेदारी में दर्ज होगी। दिनांक 08.08.2018 को जब वादी पटवारी हल्का के पास अपनी विवादित आराजी पर के.सी.सी कार्ड हेतु गया तो पटवारी हल्का के बताये जाने पर उक्त गलत इन्द्राज एवं गै0मु0 बेहड में दर्ज होने की जानकारी हुई। जिस पर वादी ने अपने समस्त साबिक एवं हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी की नकुलात प्राप्त की तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई। विवादित आराजी पर वादी वक्त आवंटन सम्वत 2028 से काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करता आ रहा है। यदि प्रतिवादीगण ने वादी के विवादित कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी से बेदखल कर दिया गलत इन्द्राज के आधार पर विवादित आराजी को दीगर लोगो को आवंटन नियमन कर दिया तो वादी को ऐसा भारी नापूर्ति योग्य नुकसान होगा कि जिसकी पूर्ति रूपयो में या अन्य हकूको में नही की जा सकेगी। इसलिये वादी जरिये अदालत अपने नाम खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है। जिस हेतु भी यह वाद पत्र पेश है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय हाजा उपसंजात होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित किया गया है कि उक्त आराजी ख.नं. 524 रकबा 1.01 किस्म गै.मु बैहड सलंग्न जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के सिवायचक खाते में दर्ज है। ख.नं. 524 रकबा 1.01 है0 का साबिक ख.नं. 395 कि. शा0 नम्बर 518 सलंग्न मिलान खसरा 2061 से प्रमाणित हेाता है ख.नं. 395 मि 20 बीघा नामान्तरण सं. 22 दिनांक 27.09.71 से सिवायचक कृषि योग्य भूमि होना सिद्ध होता है जो छाया प्रति सलंग्न पत्रावली है शेष भाग काश्तकार (प्रार्थी) स्वय सिद्ध करे। नकल खसरा गिरदावरी वास्ते सबूत सलंग्न है। जो प्रमाणित है। शेष भाग प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। जवाब दावा शामिल पत्रावली है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा बहस के दौरान स्पष्ट किया गया कि विवादित आराजी वादी को दिनांक 11.01.72 को आवंटन सहकार समिति द्वारा आवंटन की गई हैं जिस पर वक्त आवंटन से वादी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त आराजी विवादित को वादी की गैर खातेदारी में दर्ज नही किया गया तथा आवंटन के बाद आज तक करीब 45 साल समय गुजर जाने

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

के बावजूद आज दिनांक तक उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी को खातेदार दर्ज कर खातेदारी अधिकार प्रदत नही किये गये जिससे आज भी आवंटित आराजी हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में बैखाने काश्तकार सिवायचक गै.मु. बैहड दर्ज चली आती है। अतः वादी आवॅटन आदेश दिनांक 11.01.72 के आधार पर खातेदार घोषित करने एवं दावा डिकी करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर गौर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 1 वाके ग्राम मानावास के अुनसार हाल आराजी खसरा नम्बर 524 रकबा 1.01 है0 किस्म गैर मुमकिन बैहड दर्ज हैं परन्तु उक्त खसरा नम्बर का साबिक खसरा नम्बर 395 रकबा 4 बीघा था। जिसका इन्द्राज हाल राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन बैहड दर्ज है। जिसको किस्म परिर्वतन कर जर्ये इन्तकाल संख्या 22 दिनांक 21.09.71 से गैरमुमकिन बेहड से सिवायचक दर्ज किया गया बाद किस्म परिवर्तन मुताबिक नकल खसरा गिरदावरी संवत 2028 लगायत 2031 में लगाये नोट के अुनसार श्योराम, गोविन्दा, पि0 नान्छा को 2 बीघा व रामचन्द्र पुत्र भैरू को 2 बीघा व किशना वल्द मोहना गूजर को 4 बीघा आराजी आवंटन होना प्रमाणित है। उक्त आंवटियो में से श्योराम, गोविन्दा पि0 नानछा को जर्ये इन्तकाल संख्या 188 दिनांक 04/01/1983 से 2 बीघा आराजी की खातेदारी तथा रामचन्द्र वल्द भैरू को इन्तकाल संख्या 185 दिनांक 04/01/1983 से 2 बीघा आराजी की खातेदारी मिल चुकी है। जो उक्त इन्तकालों से प्रमाणित है। उक्त आवंटियों के साथ वादी को विवादित 4 बीघा आराजी वाद किस्म परिवर्तन आवंटित की गई थी जो खसरा गिरदावरी में लगाये गये नोट से प्रमाणित है परन्तु वादी को उक्त आराजी का खातेदार तथा गैर खातेदार दर्ज नही किया गया है। अब वादी आंवटित शुदा आराजी की खातेदारी की घोषणा कराना चाहता है। वादी को राजस्व नियमों के अन्तर्गत खातेदार घोषित करने से पहले गैर खातेदार दर्ज कराना न्यायालय उचित समझता है। अतः दस्तावेजी साक्ष्य व सबूतों के आधार पर दावा वादी डिकी योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

अतः आदेश है कि दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा वादी को खसरा गिरदावरी संवत 2028 लागायत 2031 में लगाये गये नोट के आधार पर साबिक आराजी खसरा नम्बर 395 /4 रकबा 4 बीघा तथा हाल खसरा नम्बर 524 रकबा 1.01 है0 वाकै

Scanned by CamScanner

ग्राम मानावास का गैर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त रकबा पर दर्ज हाल इन्द्राज कलमजन किया जाता है तथा किस्म परिवर्तन इन्तकाल संख्या 22 दिनांक 21.09.71 के अुनसार उक्त रकबा की किस्म आराजी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05/02/2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया।

कैलाश चन्द्र शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी थानागाजी

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमा इतबदाई
[ओ0 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी [अलवर]

इजलास श्री कैलाश चंद शर्मा II R.A.S.

① किशन पुत्र मोहन जाति गूजर निवासी मानावास - वादी -

बनाम

① राज. सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय अलवर

② राज. सरकार जरिये तहसीलदार मु. स्वामी थानागाजी तहसील थानागाजी (अलवर)

- प्रतिवादीगण -

दावा बाबत धारा 88, 89 R.T. Act
मुकदमा नम्बर 1/223 दिनांक रजू 18/9/2018 निर्णय दिनांक : 5/2/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल रोबरू श्री कैलाश चंद शर्मा II RAS. व हाजरी श्री रामकरण चौपड़ा एड. मिन जानिब मुद्दई व परोकार सरकार मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिक्री दी जाती है कि :-

दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा वादी को खसरा गिरदावरी सम्वत 2028 लगा. 2031 में लगाये गये नोट के आधार पर साबिक आराजी ख.नं. 395 रकबा 4-00 बीघा तथा हाल ख.नं. 524 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम मानावास का गैर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त रकबे पर दर्ज हाल इन्द्राज कलमजद किया जाता है तथा किस्म परिवर्तन हेतु परिपत्र संख्या 22 दिनांक : 21/9/17 के अनुसार उक्त रकबा की किस्म आराजी दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

आज दिनांक 5/2/19 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी [अलवर]

Scanned by CamScanner